Estd. 2016

ASHA DEVI COLLEGE

A Unit of Bhai Nitin Kumar Education & Social Welfare Trust (Regd.) Sadulpur (Churu)
Recognized by : Govt. of Rajasthan & Affiliated By M.G.S. University, Bikaner

Ref. No/ADC/SDLP/ 2026/1446 Date: 03/02/2026

सेवामें,

श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, राजगढ़ जिला–चूरु।

विषय :– **FIRE NOC में प्लॉट एरिया के क्षेत्रफल में शुद्धि करने बाबत्।**

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है भाई नितिन कुमार एज्यूकेशन एण्ड सोशियल वेलफेयर ट्रस्ट, सादुलपुर द्वारा संचालित आशा देवी कॉलेज, सादुलपुर जिला चूरु के द्वारा FIRE NOC हेतु ऑनलाईन आवेदन नं. LSG/RAJGARH CHURU/FIRENOC/2024-25/35448 में सहवश प्लॉट एरिया क्षेत्र 3338.55 वर्गमीटर दर्शाया है। जबकि प्लॉट एरिया 9552.41 वर्गमीटर है जिसके संबंध में पट्टे संलग्न है।

अतः श्रीमानजी हमारा प्लॉट क्षैत्रफल 3338.55 वर्गमीटर की जगह ऑनलाईन FIRE NOC आवेदन में 9552.41 वर्गमीटर संशोधित कर संशोधित FIRE NOC जारी करनें की कृपा करें।

सधन्यवाद्।

संलग्न :– 9552.41 वर्गमीटर के पट्टे

भवदीय

Kaushal Kumar Poonia

प्रार्थी
Secretary
Bhai Nitin Kumar Education
& Social Welfare Trust
Sadulpur (Churu) Raj

Fire NOC

03/2/26

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका राजगढ़ (चूरू)

1289
03/02/26

Ram Pratap Poonia
Chairman

Kaushal Kumar
Director

Khemana Raod, Sadulpur (Churu) Raj. 331023
Mob. 94138-87455 E-mail: ashadevi007@rediffmail.com

नगर पालिका, राजगढ

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/RAJGARH CHURU/FIRENOC/2024-25/35448

जारी दिनांकः 18-JUL-2025 वैधता दिनांकः 17-JUL-2027

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः KAUSHAL KUMAR POONIA

आवेदक का पताः JHANBAR GULPURA

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **ASHA DEVI COLLEGE KHEMANA ROAD, 2, KHEMANAROAD, WARD NO. 13, RAJGARH, CHURU, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. 06.यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
4. 02.अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से 05 वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। नियुमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
21. 01.नगरी विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/2020पार्ट जयपुर दिनांक 14.09.2023 के तहत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 103(1)(अपप),337 एवं सपठित धारा 255, 291 एवं 325 के अन्तर्गत एन.ओ.सी जारी की जाती है
22. 05.निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
23. भवन का मुख्न अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
24. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की द्वष्टि से ही मान्य होगा।
25. फायर सिस्टम को चलाले हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
26. रोप लेडर व दो रास्ता भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
27. यह अनापति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नही है। जिस भाग के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
28. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रख जावे
29. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
30. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होगें व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होगें।
31. भूमि व भवन सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

Signed by: Rakesh Kumar Arora
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: RAJGARH CHURU, Rajasthan
Date: 18/07/2025 13:36:27

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, राजगढ